आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

मराठा आरक्षण

यदि सरकार चाहती है तो आरक्षण दिया जा सकता है, किंतु .....

सब लोग जानते है कि, मराठा आरक्षण की समस्या भविष्यमें और भी गहरी होने वाली है । मेरी भी राय है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिये, किंतु यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौनसा आरक्षण, कहाँ का आरक्षण? कितना आरक्षण? यही महत्वपूर्ण बात है। बोलनेवाले, लिखनेवाले, माँग करनेवाले सिर्फ "मराठा आरक्षण" इस विषयपर चर्चा करते हैं, माँग करते है, किंतु स्पष्ट रुपसे कोई भी नही बात करता, इसलिए यह लेख लिखा जा रहा है।

यदि मराठा समाजको आरक्षण देना है तो सबसे पहले कानून के तथा संविधानके प्रावधान के बारे में सोचना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी ने दूरदृष्टीसे सोचकर पिछडे हुए वर्गोंको अलग आरक्षण देनेका प्रावधन किया था । इस प्रावधान के अनुसार राज्योंको संवैधानिक अधिकार दिये गए हैं। धारा 16(4) में ऐसा प्रावधान किया गया है कि, यदि इस अनुच्छेद की कौनसे भी प्रावधान की वजसहे राज्य के अंमलमें से सेवाओंमें से किसी भी नागरिक वर्गोंको पर्याप्त प्रमाणमें प्रतिनिधीत्व प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी राज्य सरकारकी राय है, तो ऐसे पिछडे हुए वर्गोंके लिए नियुक्तीयाँ या पद का आरक्षण करने के लिए राज्योंको काई भी प्रतिबंध नहीं है।

उपरोक्त प्रावधानसे यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी भी पिछडे हुए वर्गोंको यदि पर्याप्त प्रतिनिधीत्व प्राप्त नही हुआ है तो आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इसलिए राज्यको पहिले यह देखना चाहिए कि मराठा समाजकी जनसंख्या कितनी है और यह देखने के पहले अन्य पिछडे वर्गोंके लोगोंकी जनसंख्या कितनी है। यह देखते समय पूरे अन्य पिछडे वर्गोंके लोगोंकी जनसंख्या कितनी है इसकी प्रत्यक्ष गणना करनी चाहिए। यहाँ राणे समितीका प्रतिवेदन नहीं चलने वाला। हम उसे मान्यता नहीं देंगे, और न्यायालय भी उसे मान्यता नहीं देगा। यही मूल मुद्दा है।

यदि सरकारकी इच्छा है, तो सर्व प्रथम पिछडे वर्गोंकी, अन्य पिछडे वर्गोंकी (ओ.बी.सी.) घुमंतु-विमुक्त, धनगर, वंजारी, बागबान, तेलिया, बारा बलुतेदार अठरापगड जातीयाँ इन सबकी मंडल आयोगकी सूची के अनुसार जातीनिहाय जनगणना करना आवश्यक है। यह गणना मराठा समाज की जनगणना के साथ एक महिने में करना सहज संभव है। इस विज्ञान युग में संगणक की

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com
मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ, महाराष्ट्र - ४४०००१. टेली - 07232-256333, 256010

Scanned by CamScanner

आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

महिमा इतनी है कि यह बात आधार कार्डसे जोडके सहज संभव है। सवाल सरकार की इच्छाशक्ती का है। यदि उपरोक्तनुसार जातीनिहाय जनगणना सचमुच सरकारके पास उपलब्ध हुई तो उसके अनुसार जो लिखा हो, 52% या 40% या 60% हो, उसके अनुसार अन्य पिछडे वर्ग (ओ.बी.सी.) तथा मराठा समाजको घुमंतु-विमुक्तों को अलग अलग आरक्षण दिया जा सकता है। यदि आरक्षण 50% से ज्यादा हुआ, तो संविधानमें संशोधन किया जा सकता है।

इसके पहलेवाले सरकारोंने यह स्पष्ट निर्णय लिया था की, अन्य पिछडे वर्गोंके आरक्षण को किसी भी तरह की क्षती पहुचाए बिना अन्य आरक्षण देनेका प्रावधान किया था। किंतु जब इस निर्णय को उच्च न्यायालयमें चुनौती दी गई तब इस निर्णय को स्थगित किया था। आज इस आरक्षण के बारेमें यह मसला पिछडे हुए वर्ग आयोग की तरफ भेजा गया है। यह मसला अब जनता के सामने है। बाद में यह सरकार के सामने जाएगा। बादमें यह न्यायालयमें जाएगा। बाद में न्यायालय पुछेगा, क्या सरकार ने यह सूचना इकठ्ठी की है कि क्या संविधान के प्रावधानोंके अनुसार मराठा समाज को उचित प्रतिनिधीत्व प्राप्त नहीं है, और यदि सरकारने कोई भी निर्णय लिया या पिछडे हुए वर्गोंके आयोगने कोई भी सिफारिस की तो मराठा समाज की कोई भी दलील उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालयमें मंजूर नहीं होगी।

मराठा समाजको आरक्षण देने के लिए और उसे कानूनन मजबूती देने के लिए मैं कुछ सूचनाऐं कर रहा हूँ। यदि इन सूचनाओंका संपूर्ण पालन सरकार कर रही है तो हम संविधानकी धारा 16(4) के अनुसार आरक्षण दे सकते हैं, यह मेरा दृढ विश्वास है। इसका कारण यह है कि आरक्षण की और संविधानकी मैने पूरी तरहसे पढाई की है ओर सरकारको यह विषय मैं समझा रहा हूँ। शाहू महाराजने आरक्षण देते वक्त कौनसे विचार व्यक्त किये थे यह भी मैंने पढा है। मंडल आयोग के एक सदस्य श्री. एल.आर. नाईकने आयोग को प्रतिवेदन सादर करते वक्त अपनी असहमती व्यक्त करनेवाली टिप्पणी की है। उसका भी मैंने अभ्यास किया है। यह सर्वोच्च न्यायालयके नौ न्यायाधिशोंके खंडपीठने इंद्र सहानी बनाम भारत सरकार इस मामले में जो निर्णय दिया हे, उसका मैंने अभ्यास किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, संविधान की धारा 16(4) को मान्यता लेते वक्त और उसपर बहस करते वक्त संविधानके रचिता भारतरत्न डॉ. आंबेडकर इन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे उसका मैंने अभ्यास किया है। श्री. टी.टी. रामकृष्णचारी, सांसद इन्होंने डॉ. आंबेडकर को 1948 में सवाल किया था, "पिछडे वर्ग" इस संज्ञा का अर्थ क्या है। इसका जबाब डॉक्टर आंबेडकरजी ने बहुत अच्छा, विद्वत्तापूर्ण

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com
मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ, महाराष्ट्र - ४४०००१. टेली - 07232-256333, 256010

Scanned by CamScanner

आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

और दूरदृष्टीका दिया था। यह उत्तर आजकी स्थितीमें भी सच्चा है। उन्होंने कहा था कि हम इस धारासे राज्यको आरक्षण के अधिकार दे रहे हैं। पिछडे हुए वर्गोंमेंसे बारा बलुतेदार, अठरापगड जातीयाँ, परंपराके अनुसार अपना काम करने वाली जातीयाँ और वंचित लोग इनको यदि राज्य प्रशासनमें उचित प्रतिनिधीत्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके लिए आरक्षण करने का अधिकार हम राज्योंकों दे रहे हैं। डॉ. बाबासाहेबने अपने भाषणमें एक सवाल उपस्थित किया था कि राज्य सरकारने अपनी बुद्धिमत्ता का उचित उपयोग करके निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने ऐसी शंका जताई थी कि इस मामले में विवाद पैदा हो सकता है और मामला न्यायालयमें पहुँच सकता है, उसपर भी अपनी बुद्धिमत्ताका उचित उपयोग करके इस धाराकी कसौटी पर जो निर्णय उचित होगा वही निर्णय लेना चाहिए।

सरकार को यह करना चाहिए :-

स्थिती क्र.1 : सब पिछडी हुई जातीयोंके लोग (ओ.बी.सी.) विमुक्त-घुमंतु, बारा बलुतेदार, विशेष पिछडे प्रवर्ग, कुणबी, मराठा इनकी जातीनिहाय जनसंख्या संगणककी मददसे, आधारकार्ड जोडके या अन्य तरीकोंसे या प्रत्यक्ष जनगणना करके तय करनी चाहिए, इसका प्रतिवेदन एक महिने मे तैयार करवाएँ। पद्धती कौनसी भी हो, जनगणना करना आवश्यक है।

स्थिती क्र.2 : राज्य की सेवामें कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी इनकी कुल संख्या तथा मराठा जातीके कर्मचारी / अधिकारी इनकी संख्या इसकी प्रत्यक्ष सूचना जारी करें।

स्थिती क्र.3 : पिछडे हुए वर्गोंके आयोग के लिए आधुनिक कार्यालयका निर्माण करें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करें ताकि उनका प्रतिवेदन त्वरित प्राप्त हो जाए।

स्थिती क्र.4 : जब पिछडे हुए वर्गोंके लोग, विमुक्त, घुमंतु इनके साथ मराठा समाजकी जनसंख्या प्राप्त होने के बाद यदि यह संख्या 52% से ज्यादा हुई तो भी इस संख्या के 50% आरक्षण दिया जा सकता है, उसके लिए अन्य पिछडे वर्गोंके आरक्षण को बिना क्षती पहुँचाए आरक्षण दिया जा सकता है, और वह देना चाहिए क्यूँकी केंद्र तथा राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यदि केंद्रने विधेयक लाया, तो किसी भी राजकीय दलको उसको विरोध करने की हिम्मत नहीं होगी। सवाल सरकार की इच्छा शक्ती का है।

ता.15.08.2018

--हरिभाऊ राठोड
विधानपरिषद सदस्य

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com
मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ, महाराष्ट्र - ४४०००१. टेली - 07232-256333, 256010

Scanned by CamScanner